

17. पारिश्रमिक / मानदेय :

बैठकों की संख्या	प्रति बैठक दर	राशि (रु.)
	कुल(रु.)	

18. दावा की कुल राशि (बिंदु सं. 10,11,12,13,14,15 एवं 16,17) की कुल राशि रु.

19. प्रमाणित किया जाता है कि

- मुझे किसी भी निःशुल्क वाहन की सुविधा नहीं प्रदान की गई थी और दावा किए व्यय को मैंने वास्तव में उपगत किया है।
- मैंने बिल में इंगित यात्रा माध्यम से वास्तव में यात्रा की है और यदि मेरे द्वारा आहरित अतिरिक्त राशि, यदि कोई है, को मैं वापस करने का वचन देता हूँ।
- मैंने टैक्सी / मोटरगाड़ी में एकल सीट लेकर यात्रा नहीं की है।
- मैंने इस दावा राशि को किसी अन्य स्रोत से प्राप्त नहीं किया है और न ही प्राप्त करूंगा।
- पारिश्रमिक / मानदेय पर 2% की दर से टीडीएस राशि रु. हि.प्र.के.वि. में नकद रूप में जमा करा दी गई है।

सदस्य के हस्ताक्षर
पूरा पता पिन कोड सहित.....
.....

नोट :- मानदेय एवं पारिश्रमिक भुगतान के लिए 2% की दर से देय टीडीएस भुगतान को मानदेय रजिस्टर के क्र.सं. _____ पृष्ठ संख्या _____ पर प्रविष्टि कर दी गई है।

कार्यालय द्वारा भरा जाए

यह प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री/श्री/श्रीमती/डॉ./प्रो. _____ ने बिल में इंगित तिथियों पर पूर्वोक्त बैठक में उपस्थित थे। वायुयान/अपनी कार/पूरी टैक्सी/उच्चतर श्रेणी। से यात्रा अनुमोदित की जाती है। रु. _____ (_____ रुपये) की राशि के इस दावे को सत्यापित, संस्वीकृत और प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है।

कुलपति/डीन/कुलसचिव/
वित्त अधिकारी/विभागाध्यक्ष/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

भुगतान का विवरण

बिल सं. _____ दिनांक _____

रु. _____ (_____ रुपये) के भुगतान के लिए बिल पास किया जा सकता है।

(अनुभाग अधिकारी)

(सहा.कुलसचिव) / (उप कुलसचिव)

(नियंत्रक अधिकारी)

रु. _____ (_____ रुपये) के भुगतान के लिए बिल पास किया जाता है।

उपकुलसचिव / वित्त अधिकारी / लेखा परीक्षा अधिकारी

उपर्युक्त दावा राशि रु. _____ (_____ रुपये) का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है।

(सदस्य / दावेदार के हस्ताक्षर)